न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0)–सीकर

उनवान– हरीप्रसाद बनाम हनुमान प्रसाद आदि

किस्म मुकदमा– प्रार्थना–पत्र 212 आरटीएक्ट

मु.नं0 149 वर्ष 2012

दिनांक	आज्ञा पत्र	
02.12.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। बहस टी0आई0 सुनी गई। प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र 212 आरटीएक्ट पेश कर निवेदन किया कि ग्राम गोरधनपुरा तह0 दांतारामगढ़, सीकर में कृषि भूमि ख0नं0 48 रकबा 3.1500 है0 ख0नं0 45 रकबा 1.3300 है0 ख0नं0 49 रकबा 4.9600 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 9.4400 है0 स्थित है। जिसमें से उपरोक्त कृषि भूमियों के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 ता 6 का 1/6 अप्रार्थी सं0 7 का हिस्सा 1/6 अप्रार्थी सं0 8 ता 13 का हिस्सा 1/6 व शेष हिस्सा 1/2 अप्रार्थी सं0 14 के नाम दर्ज है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 व 2, 4 ता 7 के पिता स्व0 भागीरथ मल का देहान्त दिनांक 21.09.2004 को हो चुका है। प्रार्थी व अप्रार्थीसं0 1 व 3 की वादग्रस्त कृषि भूमियों में हिस्सा 1/6 की पैतृक अविभाजित कृषि भूमियां है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 1 व 2 को जन्मजात रूप में अपने पिता के समान हक, अधिकार व कब्जा काश्त रहे है। अर्थात् आवेदन पत्र की मद सं0 2 में वर्णित कृषि भूमियों में से हिस्सा 1/6 में से प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 व 2 का अपने पिता के जीवनकाल में प्रत्येक का हिस्सा 1/4 संयुक्त हक,हिस्सा व कब्जा रहा है। स्व0 भागीरथमल के देहान्त के बाद वादग्रस्त कृषि भूमियों में उसका हिस्सा में से प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 ता 3 प्रत्येक हिस्सा 1/4 नोशनल हिस्सा विरासत के आधार पर कानूनन प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रार्थी के पिता भागीरथमल का स्वर्गवास होने पर अप्रार्थी सं0 1 ने राजस्व अधिकारियों से साजिश कर वादग्रस्त कृषि भूमियों का विरासत के आधार पर ना0क0 सं0 308 ग्राम गोरधनपुरा ग्रा0पं0 मंढा मदनी दिनांक 5.12.2005 स्वीकार किया जाकर राजस्व अभिलेख में प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 ता 6 के नाम इन्द्राज करवाया गया है। उक्त नामान्तकरण प्रार्थी को उसके हक, हिस्सा की कृषि भूमिं से बेदखल करने की नियत से कानूनी प्रावधानों के विपरित गलत आधार पर स्वीकार करवाया जो प्रा0 पत्र की मद सं0 4 की उप मद क,ख,ग,घ, ड़,च अनुसार सर्वथा अवैध अनाधिकृत शुन्य एंव प्रभावहीन है। विवादग्रस्त भूमियों का प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 ता 3 तथा 7 ता 14 संयुक्त कब्जे काश्त व सह खातेदारी की कृषि भूमियां है, जिनको प्रार्थी व अप्रार्थीगण सह खातेदार काश्तकार अपने–अपने हिस्से अनुसार काश्त की सुविधा के अनुसार बंटवारा कर अलग–अलग काबिज काश्त करते आ रहे है, विधिवत बाई मीट्स एंड बाउण्डस बंटवारा नहीं हुआ है। परन्तु अप्रार्थी सं0 1 ता 6 द्वारा हक में किए गए गलत अवैध शुन्य व प्रभावहीन नामान्तकरण के आधार पर राजस्व अभिलेख में गलत हिस्सेदारी दर्ज होने से प्रार्थी को उसके वैध कानूनी हिस्से सें बेदखल करने की कुचेष्टा में है। इसलिए प्रार्थी अप्रार्थीगण सं0 1 ता 6 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करवाने का कानूनन मुश्तकह है, जिसके लिए अप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद पेश किया है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर अनावेदक सं0 1 ता 6 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करवाने हेतु निवेदन किया है कि वे वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। सहायक कलक्टर(मु.)सीकर	

बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि दो गांव की जमीन है। चेतनदास की ढाणी की टी0आंई कंफर्म है। यह पैतृक भूमि है। प्रति0सं0 1 ता 6 भागीरथमल के वारिस है। मेरा हिस्सा 5/48 हिस्सा है। विरासत का जो नामान्तकरण भरा गया, उसकी कोई जांच नहीं की है। तथ्यों के आधार पर डिसिजन होना है। जमीन विवादित है, जिसमें मेरा हक बनता है। मेरा निवेदन है कि जब तक वाद का निर्णय नहीं हो मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखी जावे। जब तक विभाजन नहीं हो जाता है, तब तक बेचान का अधिकार नहीं है।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी ने निवेदन किया कि नामान्तकरण सं0 308 ग्राम पंचायत मंढा द्वारा भरा गया तो ये कोर्ट में आता है। ये अपने हिसाब से ही बता रहे है कि मेरा 5/48 हिस्सा है, जबकि सभी भाई व बहनों का हक भी बनता है। दावा डिकी होने योग्य है तो टी0आई0 कंफर्म करे अन्यथा टी0आई0 खारिज की जावे।

हमने वकील उभय पक्ष की बहस सुनी, उसपर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया, जिससे जाहिर है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र 212 आरटीएक्ट पेश करने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 13.07.12 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाकर राजस्व ग्राम गोरधनपुरा तहसील दांतारामगढ़, सीकर की वादग्रस्त आराजी ख0नं0 48, 45, 49 कुल किता 3 कुल रकबारकबा 9.4400 है0 में उनके हिस्से 1/6 हिस्से के रिकॉर्ड एंव मौके की स्थिति में परिवर्तन नहीं की जावे एंव अप्रार्थी सं0 1 ता 6 के अपने हिस्से को विक्रय विलेख हक त्याग आदि से अंतरिन नहीं करने के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखने हेतु पाबन्द किया गया था।

चूंकि प्रार्थी द्वारा वाद बाबत उद्घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ अं0 धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया है, जो वर्तमान में साक्ष्य वादी में विचाराधीन चल रहा है। जिसमें बाद साक्ष्य/सबूत पेश होने पर वाद का मेरिट के आधार पर वाद में उठाये गये बिन्दूओं का निस्तारण किया जाना है। विवादग्रस्त भूमियों पर वाद विवाद बहुलता नहीं बढ़े इसलिए न्यायहित में न्यायालय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार कर मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना उचित समझता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि मूल वाद सं0 183/2012 उनवानी हरिप्रसाद बनाम हनुमान प्रसाद के निस्तारण तक राजस्व ग्राम गोरधनपुरा तहसील दांतारामगढ़, सीकर की वादग्रस्त आराजी ख0नं0 48, 45, 49 कुल किता 3 कुल रकबारकबा 9.4400 है0 में उनके हिस्से 1/6 हिस्से के रिकॉर्ड एंव मौके की स्थिति में परिवर्तन नहीं करे। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो।

सहायक कलक्टर (मु0)सीकर